(27)

।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

राजस्व वाद नं० 1/06 तारीख रज्जू 28.07.2008

2018
510

01– चन्दरू पुत्र भूरया दत्तक पुत्र छोटू जाति चमार निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर (मृतक)

1/1 बुद्धि पत्नि स्वर्गीय चन्दरू जाति बलाई निवासी केसरपुर तहसील व जिला अलवर हाल निवासी ग्राम दादर तहसील व जिला अलवर

–वादी

बनाम

01– हरी सिंह पुत्र श्री किशन लाल जाति चमार

02– बाबूलाल पुत्र श्री किशन लाल जाति चमार

निवासीयान ग्राम केसरपुर तहसील अलवर जिला अलवर

03– श्रीमति बत्तो पुत्री किशनलाल पत्नि सोनू जाति चमार

04– श्रीमति फूलकोर पुत्री किशनलाल पत्नि धुपू जाति चमार

निवासीयान ग्राम पाटा तहसील रामगढ जिला अलवर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राज० काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :– दिनांकः 16.08.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत पेश किया है। वाद में कथन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 405 रकबा 0.35 है०, 410 रकबा 0.33 है० वाके ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर में स्थित है। विवादित आराजी छोटू वल्द नत्थू चमार की माफीदारी व जमींदारी की भूमि थी, जिस पर स्वयं काश्त करता था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जप्ती माफीदारी के समय वादी काबिज था इसलिए उसे कानून विवादित आराजी पर हकूक खातेदारी प्राप्त हो गये। छोटू वल्द नत्थू के कोई सन्तान सुलबी लडका लडकी नही थी। इसलिए उसने अपने जीवनकाल में ही मिन वादी को जो की उसका भतीजा लगता है को हस्व रिवाज बिरादरी गोद लेकर अपना दत्तक पुत्र बना लिया व गोद की रस्म अदा की गई। इसके पश्चात वादी छोटू की सेवा टहल करता था व आराजी की देखभाल किया करता था।

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

बन्दोबस्त से पूर्व छोटू का स्वर्गवास हो गया उसकी पगडी मिन वादी को बांधी गई। विवादित आराजी उसकी विरासत में मिन वादी को प्राप्त हुई। वादी सालिम आराजी का अकेला खातेदार काश्तकार है एवं आज भी वादी का कब्जा है। गिरदावरी सम्वत 2030–2032 में वादी की काश्त दर्ज है। प्रतिवादीगण का व उनके पिता किशनलाल का विवादित आराजी से कोई किसी भी प्रकार का कोई वास्ता नही है ना ही कब्जा है तथा ना ही कभी कब्जा रहा है। सम्वत 2020 में बन्दोबस्त कर्मचारियान से मिलकर किशनलाल ने बदयान्ति पूर्वक अपने आप को 1/2 भाग का खातेदार दर्ज करा लिया। इसी आधार पर बाद की गिरदावरी व जमाबन्दी में अमल होता रहा। किशनलाल की मृत्यु के पश्चात इन्तकाल विरासत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व मु० छोटी के नाम स्वीकार हुआ। कागजात माल में 1/2 भाग का इन्द्राज किया गया। जो समस्त इन्द्राज गलत है। खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है। इस इन्द्राज के कायम रहने से वादी के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी जायल होते है। इस कारण वादी उक्त इन्द्राजात को कलमजन कराकर बन्दोबस्त हाल में व बाद की जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी में सालिम आराजी पर अपने आप को खातेदार काश्तकार दर्ज कराने का अधिकारी है। दिनांक 21.06.1993 को जब वादी अपने खेत में खाद डाल रहा था तब प्रतिवादीगण एक राय होकर आये ओर कार्य कृषि में बाधा डाली ओर जाहिर किया कि रिकार्ड माल में उन्हे 1/2 भाग का खातेदार दर्ज किया हुआ है इस लिए वो काश्त नही करने देंगे, जबरन कब्जा करेंगे, दीगर लोगो को आराजी मुन्तकिल करेंगे। मु० छोटिया बेवा किशनलाल का निधन हो चुका है। किशनलाल के प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 4 वारिसान है। यदि प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया व रहन बय द्वारा बेचान कर दिया तो वादी को नाहक मुकदमेबाजी में फसना पडेंगा जिसकी पूर्ति रूपयों में व हकूको में नही हो सकेगी। उक्त इन्द्राज की जानकारी दिनांक 21.06.1993 को प्रतिवादी के कहने पर व कागजात की नकल लेने पर हुई। वादी समस्त आराजी की खातेदारी प्राप्त करने का एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जर्ये वकील उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जवाब में अंकित किया है कि विवादित आराजी छोटू स्वयं काश्त नही करता था बल्कि प्रतिवादीगण के पिता किशनलाल निस्फ

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

भाग पर व वादी चन्दरू निस्फ भाग पर शामलात में काश्त करते थे और वक्त जप्ती माफी व जारी होने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट भी इन दोनों का कब्जा था, इसलिए किशनलाल, चन्दरू को हकूक खातेदारी प्राप्त हो गये। यह कहना गलत है कि इस भूमि पर छोटू चमार का कब्जा काश्त रहा व उसे हकूक खातेदारी मिले। मृतक छोटू का वादी दत्तक पुत्र नही है ना ही छोटू ने कभी वादी को गोद लिया, ना ही कोई गोद की रस्म अदा हुई ना ही वादी ने सालिम आराजी को कभी काश्त किया, ना ही छोटू का वादी ने दाह संस्कार किया ओर ना ही विवादित आराजी वादी को छोटू की विरासत से मिली। वादी ने गोद लेने की तारीख, समय भी दर्ज नही किया है ना ही गोद के बारे में कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज पेश किया है। वादी ने महज सालिम आराजी मुतनाजा को हडप करने की नियत से अपने आपको छोटू का दत्तक पुत्र बताते हुए यह झूठा दावा दायर किया है। विवादित आराजी के 1/2 भाग पर हम प्रतिवादीगण के पिता किशनलाल व 1/2 भाग पर वादी चन्दरू काबिज काश्त रहे। किशनलाल का निधन हो चुका है जिसका विरासत का इन्तकाल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा हमारी माता छुटिया के नाम 1/2 भाग स्वीकार हुआ। छुटिया का देहान्त हो चुका है। इसलिए 1/2 भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा 1/2 भाग पर वादी काबिज है। वादी किसी भी तरह इन्द्राज को कलमजन कराने का अधिकारी नही है। इसलिए वादी का वाद चलने योग्य नही बतलाते हुए वाद खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

वाद में निम्न तनकीयात कायम की गईः–

01– आया छोटू वल्द नत्थू विवादित आराजी खसरा नम्बर साबिक 190 एवं 193 हाल खसरा नम्बरान 405 रकबा 0.35 है० एवं 410 रकबा 0.33 है० सालिम आराजी का खातेदार काश्तकार था।

–वादी

02– आया वादी को छोटू वल्द नत्थू ने हस्ब रिवाज बिरादरी गोद लिया था।

–वादी

03– आया वादी छोटू वल्द नत्थू का वारिस होने के कारण विवादित आराजी का खातेदार है।

–वादी

04– आया प्रतिवादीगण के पिता किशनलाल का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा का जो इन्द्राज हाल बन्दोबस्त में किया गया है

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

दुरूस्त किया जाकर वादी के नाम इन्द्राज किया जाना आवश्यक है। —वादी

05— आया प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए। —वादी

06— दादरसी

दिनांक 27.02.2001 को वादी की ओर से स्वयं चन्दरू, सम्मीखां वल्द हुसैना दिनांक 01.03.2001 को सुलतान वल्द भूपसिंह एवं दिनांक 27.08.2012 को बुद्धि गवाहान पेश कर बयान कराये गये। प्रदर्श डाले गये।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 28.05.2002 को स्वयं हरिसिंह एवं दिनांक 19.01.2004 रूजदार पुत्र नूरू खां गवाहान पेश कर बयान कराये गये। वाद में दिनांक 23.01.2014 को प्रतिवादीगण की एकतरफा कार्यवाही की गई।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस में वादी के वकील ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए व दस्तावेजात का हवाला देते हुए अपने वाद को डिक्री करने की प्रार्थना की। वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में निम्न नजीरें पेश की हैः—

01— आरआरटी 2015 (।।) पेज 1214

02— आरआरटी 2008 (।) पेज 151

03— डीएनजे 2001 (।) पेज 245

04— डीएनजे 2013 सर्वोच्च न्यायालय पेज 051

05— एआईआर 2007 सर्वोच्च न्यायालय पेज 2025

06— आरबीजे 2003 पेज 187, 205

हमनें पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। वकील वादी की बहस पर मनन किया। वकील वादी द्वारा पेश नजीरे उक्त वाद पर चस्पा नही होती है।

पत्रावली पर बनाये गये विवाद्यको का निम्नानुसार निर्णय किया जाता हैः—

01— **आया छोटू वल्द नत्थू विवादित आराजी खसरा नम्बर साबिक 190 एवं 193 हाल खसरा नम्बरान 405 रकबा 0.35 है० एवं 410 रकबा 0.33 है० सालिम आराजी का खातेदार काश्तकार था।**

मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2011 लगा० 2014 के खाता संख्या 230 पर साबिक खसरा नम्बर 190 व 193 पर छोटा पुत्र नत्थू बलाई

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

साकिन देह माफीदार माफी दैन जमीदारा मा० किशनलाल पुत्र भूरया चमार साकिन देह गैर खातेदार साल 2 का अंकन किया हुआ है। एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 लगा० 2018 में आराजी खसरा नम्बर 193 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा मटयार बारानी शामलात देह, छोटू वल्द नत्थू चमार साकिन देह माफीदार दैन जमीदारा मा० किशन लाल वल्द भूरया चमार साकिन देह गैर खातेदार साल 2 बकाश्त छोटू मजकूर का अंकन किया हुआ है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 से 2019 के खसरा नम्बर 190 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, मटयार बारानी, शामलात देह, छोटू वल्द नत्थू बलाई साकिन देह माफी दैन जमींदारा मा० किशनलाल वल्द भूरया चमार साकिन देह गैर खातेदार साल–2 का अंकन किया हुआ है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2029 से 2032 के खसरा नम्बर 190 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा बारानी दोयम पर किशन लाल, चन्दरू पि० भूरया जाति चमार साकिन देह खातेदार का अंकन किया हुआ है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2029 से 2032 में खसरा नम्बर 193 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा बारानी दोयम पर किशन लाल, चन्दरू पि० भूरया जाति चमार साकिन देह खातेदार का अंकन दर्ज किया हुआ है। सम्वत 2020 में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किशनलाल, चन्दरू पि० भूरया जाति चमार साकिन देह खातेदार का अंकन किया हुआ है। जमाबन्दी सम्वत 2045 से 2048 में मु० छुटिया बेवा किशनलाल व हरिसिंह, बाबूलाल पि० किशनलाल समान भाग हि० 1/2 चन्दरू पुत्र भूरया हि० 1/2 जाति चमार साकिन देह खातेदार का अंकन दर्ज है। वादी का किसी भी पेशकर्दा जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी में सालिम आराजी पर चन्दरू दत्तक पुत्र छोटू व छोटू पुत्र नत्थू का अंकन नही है। वादी इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

02– **आया वादी को छोटू वल्द नत्थू ने हस्ब रिवाज बिरादरी गोद लिया था।**

वादी ने अपने वाद पत्र में छोटू वल्द नत्थू का दत्तक पुत्र होना अंकित किया है। छोटू के कोई सुलबी लडका एवं लडकी नही था जिस कारण छोटू ने चन्दरू पुत्र भूरया को गोद ले लिया था। छोटू के समय से ही चन्दरू आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि चन्दरू को छोटू को गोद नही लिया, ना ही कोई गोद की रस्म अदा की गई ना ही गोद लेने

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

से संबंधित कोई दस्तावेज पेश किया है। वादी द्वारा भी गोद लेने बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है एव ना ही किसी राजस्व रिकार्ड में इस प्रकार का कोई अंकन है। वादी इस तनकी को साबित करने मे असफल रहा है। अतः यह तनकी भी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

03— **आया वादी छोटू वल्द नत्थू का वारिस होने के कारण विवादित आराजी का खातेदार है।**

वादी ने अपने वाद में स्वयं को छोटू पुत्र नत्थू का गोद लिया पुत्र बताकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 405 व 410 सालिम आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने बाबत वादपत्र में अंकित किया है। परन्तु गोद बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किया है एवं वादी द्वारा पेशकर्दा दस्तावेजात में भी गोद बाबत किसी प्रकार का अंकन नही पाया गया है। इस कारण वादी अपने स्वयं को छोटू का गोद पुत्र अर्थात मुतबन्ना पुत्र साबित करने में असफल रहा है। अतः यह तनकी भी वादी साबित करने के असफल रहा है। इस कारण यह तनकी वादीगण के विपक्ष में निर्णित की जाती है।

04— **आया प्रतिवादीगण के पिता किशनलाल का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा का जो इन्द्राज हाल बन्दोबस्त में किया गया है दुरूस्त किया जाकर वादी के नाम इन्द्राज किया जाना आवश्यक है।**

मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2011 लगा० 2014 के खाता संख्या 230 पर साबिक खसरा नम्बर 190 व 193 पर छोटा पुत्र नत्थू बलाई साकिन देह माफीदार माफी दैन जमीदारा मा० किशनलाल पुत्र भूरया चमार साकिन देह गैर खातेदार साल 2 का अंकन किया हुआ है। एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 लगा० 2018 में आराजी खसरा नम्बर 193 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा मटयार बारानी शामलात देह, छोटू वल्द नत्थू चमार साकिन देह माफीदार दैन जमीदारा मा० किशन लाल वल्द भूरया चमार साकिन देह गैर खातेदार साल 2 बकाश्त छोटू मजकूर का अंकन किया हुआ है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 से 2019 के खसरा नम्बर 190 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, मटयार बारानी, शामलात देह, छोटू वल्द नत्थू बलाई साकिन देह माफी दैन जमींदारा मा० किशनलाल वल्द भूरया चमार साकिन देह गैर खातेदार साल–2 का अंकन किया हुआ है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2029 से 2032 के खसरा नम्बर 190 रकबा 1

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

बीघा 8 बिस्वा बारानी दोयम पर किशन लाल, चन्दरू पि० भूरया जाति चमार साकिन देह खातेदार का अंकन किया हुआ है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2029 से 2032 में खसरा नम्बर 193 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा बारानी दोयम पर किशन लाल, चन्दरू पि० भूरया जाति चमार साकिन देह खातेदार का अंकन दर्ज किया हुआ है। सम्वत 2020 में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किशनलाल, चन्दरू पि० भूरया जाति चमार साकिन देह खातेदार का अंकन किया हुआ है। जमाबन्दी सम्वत 2045 से 2048 में मु० छुटिया बेवा किशनलाल व हरिसिंह, बाबूलाल पि० किशनलाल समान भाग हि० 1/2 चन्दरू पुत्र भूरया हि० 1/2 जाति चमार साकिन देह खातेदार का अंकन दर्ज है। वादी का किसी भी पेशकर्दा जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी में सालिम आराजी पर चन्दरू दत्तक पुत्र छोटू व छोटू पुत्र नत्थू का अंकन नही है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा किसी प्रकार का परिवर्तन राजस्व रिकॉर्ड में नही किया गया है। वादी इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

05– **आया प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए।**

वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम पेशकर्दा समस्त दस्तावेजात में 1/2 – 1/2 हिस्से का अंकन पाया गया है। सालिम आराजी पर वादी का किसी भी दस्तावेज में अंकन नही पाया गया वादी वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान सालिम का खातेदार काश्तकार दर्ज कागजात माल नही है। इस कारण वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है। वादी यह तनकी भी साबित करने में असफल रहा है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध वादी निर्णित कर तय की जाती है।

06– **दादरसी**

तनकी संख्या 1 लगा० 5 वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है। इस कारण वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः यह तनकी भी वादी के विरूद्ध तय कर निर्णित की जाती है।

वादी द्वारा समस्त तनकीयात साबित करने में असफल रहने के कारण वादी के विरूद्ध निर्णित कर तय की गई है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद हाल आराजी खसरा नम्बर 405 रकबा 0.35 है०, 410 रकबा 0.33 है० वाके ग्राम केसरपुर तहसील अलवर खारिज किया जाता है। तदानुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

39

निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

धिकारी: देवेन्द्र सिंह परमार RAS

द्रू पुत्र भूरया दत्तक पुत्र छोटू जाति चमार निवासी ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर (मृतक)

द्धे पत्नि स्वर्गीय चन्दरू जाति बलाई निवासी केसरपुर तहसील व जिला अलवर हाल निवासी ग्राम दर तहसील व जिला अलवर —वादी

बनाम

री सिंह पुत्र श्री किशन लाल जाति चमार
बूलाल पुत्र श्री किशन लाल जाति चमार
निवासीयान ग्राम केसरपुर तहसील अलवर जिला अलवर
श्रीमति बत्तो पुत्री किशनलाल पत्नि सोनू जाति चमार
श्रीमति फूलकोर पुत्री किशनलाल पत्नि धुपू जाति चमार
निवासीयान ग्राम पाटा तहसील रामगढ जिला अलवर —प्रतिवादीगण

म्बर :— 1/06/2008
नांक :— 16.08.2019

वादी की ओर से श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नही। में आज तारीख 16.08.2019 को सहायक कलक्टर, अलवर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी द्वारा समस्त तनकीयात साबित करने में रहने के कारण वादी के विरूद्ध निर्णित कर तय की गई है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद हाल खसरा नम्बर 405 रकबा 0.35 है०, 410 रकबा 0.33 है० वाके ग्राम केसरपुर तहसील अलवर खारिज ाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16.08.2019. को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर, अलवर

सहायक कलक्टर अलवर (राज०)

खर्चे		प्रतिवादी	
पत्र के लिए स्टाम्प त पत्र के लिए स्टाम्प र्शी के लिए स्टाम्प . रूपये पर प्लीडर की फीस ाक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय मिश्नर की फीस देशिका की तामील	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशित की तामील कमिश्नर की फीस	रूपया

Scanned by CamScanner